न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 12/19 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00062

उनवान

1. मुस0 पिंकी पत्नि कृष्ण कुमार व पुत्री दीनदयाल जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी खटनावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र घनश्याम
2. पंकज पुत्र दीनदयाल
3. राहुल पुत्र दीनदयाल
4. चिंकी पुत्र दीनदयाल
5. धनेश कुमार पुत्र घनश्याम
6. हरीशंकर पुत्र जैशिव
7. लखन पुत्र जैशिव
8. लालाराम पुत्र नानगा
9. वेदप्रकाश पुत्र नानगा
10. प्रहलाद पुत्र नानगा

जाति बागरी ब्राहम्ण नि0 बिडयारी तह0 बयाना जिला भरतपुर।

11. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2019 प्रकरण संख्या 139/2018 उनवान पिंकी बनाम दीनदयाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–22.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 12 रकवा 2.3000 है0 वाके ग्राम बिडयारी तहसील बयाना में स्थित है। वादी/अपीलाण्ट, प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 की पुत्री है। विवादित आराजी प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 को उनके पिता घनश्याम के स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 के नाम नामान्तकरण विरासत के जरिये आई है।

घनश्याम की मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों में प्रतिवादी/रैस्पो0 01 लगायत 04 व वादी/अपीलाण्ट हैं। परन्तु विवादित आराजी प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 अकेले के नाम कर्ताखानदान होने के कारण दर्ज हो रही है। वादी/अपीलाण्ट का विवाह हो गया है तथा वह अपनी ससुराल खटनावली में रहती है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 शराबी है एवं विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहता है एवं वादिनी का सम्मान भी नहीं करता एवं शादी एवं अन्य मांगलिक अवसरो पर वादिनी को बुलाता भी नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुताष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादिनी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो दीनदयाल को उनके पिता घनश्याम की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हुयी है एवं घनश्याम को भी विवादित आराजी उनके पिता नानगा से प्राप्त हुयी थी। अतः विवादित आराजी में अपीलाण्ट का सहभागीदारी की हैसियत एवं धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में अपीलार्थी यानि पुत्रियों को सन् 2005 से हुये केन्द्रीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कानून में हुये संशोधन के अनुसार पुत्रो के बराबर ही अधिकार विरासत के पिता के जीवनकाल में ही प्राप्त होना प्रावधित हुये हैं इस प्रकार अपीलाण्ट दीनदयाल पिता के जीवनकाल में उसके हाथो में निहित पैतृक आराजी में 1/5 हिस्स के काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नहीं मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। यह है कि कुछ आराजी की वसीयत करके बसंती, परदादी अपीलाण्ट के परबाबा स्व0 बिरजी ने दी है जिसकी उसने वसीयत दीनदयाल को की है जिसमें से आगे चलकर सहमति देकर दीनदयाल ने आधा हिस्सा धनेश अपने छोटे भाई के नाम करा दिया है इस प्रकार यह आराजी भी दीनदयाल के नाम अपीलाण्ट के पूर्वजो से आयी है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक ना मानने में भूल की है। समस्त आराजी घनश्याम से दीनदयाल के नाम आयी है जो दीनदयाल के नाम उसकी दादी की वसीयत में आयी है वह भी सम्पत्ति वादिनी के पूर्वज बिरजी यानि प्रतिवादी संख्या 01 के बाबा की आराजी है। इस प्रकार यह समस्त आराजी घनश्याम से ही आना मानी जावेगी। विवादित आराजी में अपीलाण्ट को जन्म से ही रैस्पो0 संख्या 01 के साथ समभाग के खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के पैतृक ना होने बावत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसके विपरीत अपीलांट ने अपने प्रलेखीय साक्ष्य से अपना दावा साबित किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण ही नहीं किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2015 पेज 1088, 2012 पेज 89, 2012 पेज 485, 2012(1) पेज 510, एआईआर 2010 पेज 124 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये दावा वादी अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी रैस्पो0 को उनके पिता घनश्याम से विरासत में प्राप्त नहीं हुयी है। बल्कि स्वःअर्जित सम्पत्ति है जो उसे वसीयत पार्टीशन विनिमय हकत्यागो द्वारा एवं वाई आपरेशन ऑफ लॉ राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं जमीदारी विश्वेदारी एक्ट के लागू होने पर व हैसियत काश्तकार होने के कारण प्राप्त हुई है। अतः अपीलाण्ट को भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट घनश्याम की वारिस नहीं है बल्कि रैस्पो0 संख्या 01 की उत्तराधिकारी है एवं अपीलाण्ट को स्वयं के पिता के जीवित रहते भूमि लेने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त भी नहीं है वह अपनी ससुराल खटनावली में रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यो की जॉच उपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित 9 तनकियॉ निर्धारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियों की विवेचना में समस्त विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति ना मानते हुये, बहुत सी आराजी को वादिया/अपीलाण्ट के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति माना है। परन्तु स्वअर्जित सम्पत्ति एवं पैतृक सम्पत्ति के तथ्य को सिद्ध करने बाबत् उनके द्वारा कौनसा अभिलेख देखा गया अथवा कौनसे दस्तावेज से उक्त तथ्य साबित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचना नहीं की गयी है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त सभी तनकियों को तय करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना नही की जाकर, सरसरी तौर पर तनकियॉ निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–17, 19, 20, 21 में विवादित आराजी घनश्याम, विरजी वगै0 के नाम दर्ज है, जो कि वादी/अपीलाण्ट के पिता दीनदयाल के पूर्वज हैं। इसके अलावा प्रदर्श ए–1 रिलीजडीड की पंक्ति संख्या 20 व 21 में स्वयं दीनदयाल, पिता वादी/अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति तथा पिता के स्वर्गवास के बाद विरासत में प्राप्त होना अंकित किया है। इसी प्रकार प्रदर्श ए–2 में दीनदयाल के पिता घनश्याम ने विवादित आराजी को पैतृक/पूर्वजो की बताते हुये प्रथम पक्ष दीनदयाल, द्वितीय पक्ष धनेशचन्द व तृतीय पक्ष रामो धर्म पत्नी घनश्याम के मध्य विवादित आराजी का बॅटवारा किया गया है। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 23 प्रदर्श दस्तावेज पेश किये हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तनकी को तय करते समय किसी भी दस्तावेज का विश्लेषण नहीं किया है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय

स्वीकार्य नही हो सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2019 अपास्त किये जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित, उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर एवं अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर